

ट्रंप के टैरिफ के ‘‘ श्राप ’’ को भारतीय ज्वैलर्स ने वरदान में तब्दील किया

ज्वैलरी पर लगे 50 प्रतिशत टैरिफ को, बड़ी होशियारी से कानूनी दाँव-पेच से 5.5 प्रतिशत टैरिफ में बदला

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 19, सितंबर। जब ट्रंप प्रशासन ने भारत से आभूषण आयात पर 5० प्रतिशत टैरिफ लगाया, तो इस कदम का उद्देश्य अमेरिका के सबसे बड़े सोने और हीरे के आभूषणों के सप्लायरों में से एक को करारा झटका देना था। अमेरिका के आभूषण आयात में भारत का एक बड़ा हिस्सा है और इस शुल्क से कीमतें बढ़ने, मार्जिन कम होने और लाखों लोगों की आजीविका को सहारा देने वाले उद्योग को झटका लगने का खतरा है। लेकिन इस समस्या को एक अनूठा ट्विस्ट देते हुए, भारतीय ज्वैलर्स ने टैरिफ की दीवार को पार करने का एक रास्ता खोज लिया है। इस काम में सबसे आगे हैं, मुंबई स्थित आभूषण निर्माता गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड, जिसके पास लगभग चार दशकों का वैश्विक अनुभव है। टैरिफ से कुचले जाने के बजाय, कंपनी ने इसे एक अवसर में

बदल दिया है। इसका राज अमेरिकी टैरिफ कानून के एक अनदेखे प्रावधान में छिपा है: यदि कच्चा माल अमेरिका का है और प्रोसेसिंग के लिए विदेश भेजा जाता है और तैयार माल के रूप में वापस आता है, तो आयात शुल्क सिर्फ अतिरिक्त वैल्यू एडिशन पर ही लागू होता है। गोल्डियम ने अपनी सप्टाई चैन को इस ब्रूट के अनुसार दोबारा ढाल लिया है। यह व्यवस्था इस प्रकार काम करती है। कंपनी अमेरिका से सोना खरीदती है, जिससे उसे टैरिफ नियमों के तहत ‘‘घरेलू’’ दर्जा मिल जाता है। आधे-तैयार आभूषण भारत भेजे जाते हैं, जहाँ कारीगर इन आभूषणों को पॉलिश करते हैं और हीरे जड़ते हैं। इन

■ अमेरिका के टैरिफ कायदे-कानून के अनुसार, अगर किसी भी कच्चे माल की खरीद अमेरिका में होती है तथा इस खरीद को विदेश भेजकर ‘‘प्रोसेस’’ कराया जाता है तो वह तैयार माल जब अमेरिका में बिक्री के लिये आता है तो उस प्रॉडक्ट की ‘‘प्रोसेसिंग लागत’’ पर ही टैरिफ लगता है, जो लगभग 5.5 प्रतिशत ही होता है, पर, अगर सीधा तैयार माल अमेरिका भेजा जाए तो उस पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगता है।

■ भारतीय ज्वैलर्स अमेरिका में सोना खरीद कर, ‘‘सेमी फिनिशड’’ हालत में भारत भेज रहे हैं। भारतीय कारीगर उस ‘‘सेमी फिनिशड’’ सोने की ज्वैलरी को पॉलिश आदि करके चमकाकर, उसमें हीरे, माणिक, रूबी, आदि रत्न, डिजाइन के अनुसार सैट करके अमेरिका वापस भेज देते हैं, बिक्री के लिए। अतः अब निर्यात की गई ज्वैलरी पर केवल 5.5 प्रतिशत टैरिफ लगता है, न कि 50 प्रतिशत जो सीधे अमेरिका को एक्सपोर्ट करने पर लगता।

उन्नत उत्पादों को फिर से अमेरिका निर्यात किया जाता है। 5० प्रतिशत का कठोर टैरिफ चुकाने के बजाय,

गोल्डियम को अतिरिक्त श्रम और हीरों पर केवल 5.5 प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है, जो प्रतिस्पर्धियों के

मुकाबले बहुत कम है।

गोल्डियम के लिए, यह सिर्फ (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लोकसभाध्यक्ष के ओ.एस.डी. दत्ता को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश में कोई हस्तक्षेप करने से इन्कार किया तथा हाई कोर्ट को इंगित किया कि वह राजीव दत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायें, ‘‘ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 19 सितम्बर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला के ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) राजीव दत्ता की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोई राहत देने से इनकार कर दिया है और हाई कोर्ट को उनके खिलाफ केस करने वाले वकीलों को डराने-धमकाने के आरोपों में एफ आई आर दर्ज करने का निर्देश दिया है। सुत्रों के अनुसार, आज सुबह स्वयं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के आवास पर जाकर मुलाकात की। बताया जा रहा है कि उन्होंने मेहता से कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है, और यह सुनिश्चित करने को कहा कि राजीव दत्ता के खिलाफ एफ आई आर दर्ज न हो। राजीव दत्ता की ओर से

■ विश्वस्त सुत्रों के अनुसार, स्वयं ओम बिडला शुक्रवार की सुबह, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के घर गए, उन्हें बताने कि दत्ता को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है और वे (तुषार मेहता) दत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने दें।

■ राजीव दत्ता की ओर से कई बड़े-बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे, उनके मामले की पैरवी करने के लिए। पर, फिर सुप्रीम कोर्ट राजीव दत्ता से काफी सख्ती से पेश आया और पूछा कि याचिका दायर करने वालों के खिलाफ पाँच-पाँच केस दर्ज करवाये गये हैं तथा उन्हें धमकी दी जा रही है।

सुप्रीम कोर्ट में देश के नामी वकीलों की टीम ने पैरवी की, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए पूछा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ 5 झूठे केस क्यों दर्ज किए गए और उन्हें असामाजिक तत्वों के मार्फत क्यों धमकाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने दत्ता को

यह विकल्प जरूर दिया है कि वे चाहें तो दोबारा हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जयपुर में एफ आई आर लेकिन अब तक हाई कोर्ट द्वारा दर्ज करने का जो निर्देश पुलिस को दिया गया था, वह अभी तक लागू नहीं किया गया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सिंगर जुबिन गर्ग की हादसे में मौत

नई दिल्ली, 19 सितम्बर। बॉलीवुड के गलियारों से एक दिल तोड़ने वाली खबर सामने आई है। 9० के दशक में हिंदी सिनेमा को या अली, सुबह-सुबह, दिल तु ही बता और जिन्या रे जियारे जैसे कई सुपरहिट गाने देने वाले सिंगर जुबिन गर्द का निधन हो गया है।

52 साल के असम के मशहूर सिंगर और कलचरल आइकन जुबिन गर्ग की जान स्कूबा डाइविंग करते हुए गई है।

■ जुबिन गर्ग सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग कर रहे थे वहाँ हादसे में उनकी मौत हो गई। गर्ग असम के कलचरल आइकन थे।

उनके निधन की जानकारी असम के कैबिनेट मंत्री ने शुक्रवार की दोपहर में

शेयर की है। सिंगर जुबिन गर्ग जब स्कूबा डाइविंग कर रहे थे तो उस दौरान उनके साथ ये हादसा हुआ। सिंगापुर पुलिस ने मौके पर जाकर उन्हें समुद्र से रेस्क्यू किया और तुरंत ही पास के अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में पूरी मेडिकल केयर के बावजूद, उन्हें बचाया नहीं जा सका। जुबिन गर्ग सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए गए थे, जहां उन्हें 2० सितंबर को परफॉर्म करना था।

‘आईबी के आग्रह पर मैं आतंकियों से मिला, इसे अब मेरे खिलाफ ‘‘यूज़’’ किया जा रहा है’

तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी कश्मीरी नेता यासीन मलिक ने हाई कोर्ट में दायर 81 पेज के हलफनामे में दावा किया

- जाल खंबाता -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -
नई दिल्ली, 19 सितंबर। मृत्युदंड की सजा पाए कश्मीर के पूर्व अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने दावा किया है कि 199० में गिरफ्तारी के बाद उन्हें लगातार 6 सरकारों वी.पी. सिंह से लेकर मनमोहन सिंह तक-द्वारा कश्मीर मुद्दे पर बातचीत और समाधान के लिए सक्रिय रूप से शामिल किया गया था।

मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में बताया कि 2००6 में उन्होंने पाकिस्तान में स्थित आतंकवादी हाफिज सईद और अन्य उग्रवादियों से मुलाकात की थी, और यह मुलाकात तत्कालीन खुफिया ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर वी.के. जोशी के कहने पर हुई थी। उन्होंने कहा, मुझे विशेष रूप से हाफिज सईद और पाकिस्तान के अन्य आतंकवादी नेताओं से मिलने के लिए

■ मलिक ने कहा, 20०6 में आईबी के स्पेशल डायरेक्टर वी.के. जोशी के कहने पर मैं हाफिज सईद व अन्य आतंकियों से मिला था। मुलाकात के बाद मैंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एन.के. नारायणन् से बात कर उन्हें जानकारी दी थी।

■ मलिक ने कहा, कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद प्र.मंत्री मनमोहन सिंह ने मुलाकात कर कहा था कि वे कश्मीर मुद्दे का हल करना चाहते हैं।

कहा गया था। यह तर्क दिया गया था कि आतंकवाद और शांति वार्ता एक साथ नहीं चल सकती, खासकर जब राजधानी में बम धमाका हुआ था।

मलिक ने आगे कहा कि इस मुलाकात के बाद जब वे भारत लौटे, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एन.के. नारायणन से मुलाकात की और उन्हें पूरी जानकारी

दी। मलिक, जिन्होंने तिहाड़ जेल नंबर 7 के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट के सह-हस्ताक्षर के साथ 81 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया है, ने आगे दावा किया कि पाकिस्तान में आतंकी नेताओं से मुलाकात के बाद जब वे भारत लौटे, तो उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एन.के. नारायणन से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई पेपर लीक में एक और प्रोबेशनर गिरफ्तार

जयपुर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने एसआई भर्ती परीक्षा-2०21 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए, एक प्रोबेशनर एसआई को गिरफ्तार किया है, जो चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइन में तैनात था। गिरफ्तार प्रोबेशनर एसआई परीक्षा से पहले लीक सॉल्व पेपर को पढ़ कर चयनित हुआ था। एसओजी फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी एसओजी) वीके सिंह ने बताया कि एसआई भर्ती परीक्षा-2०21 पेपर लीक मामले में कार्रवाई करते हुए, प्रोबेशनर एसआई कैलाश कुमार विश्‍नोई निवासी सांवीर जिला जालोर गिरफ्तार किया गया है। कैलाश कुमार एसआई भर्ती पेपर की दोनों परियों की लिखित परीक्षा में लीक हुआ सॉल्वड पेपर पढ़ कर चयनित हुआ था और वर्तमान में पुलिस लाइन चित्तौड़गढ़ में पुलिस एसआई (प्रोबेशनर) है। अब तक 56 एसआई सहित, कुल 127 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि एसआई भर्ती परीक्षा 2०21 पेपर लीक मामले में एसओजी की ओर से साल 2०24 में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

चुनाव आयोग के बचाव में राहुल गांधी के खिलाफ पूरी ताकत से मैदान में उतरी भाजपा

शुक्रवार को एक के बाद एक भाजपा के दिग्गज नेताओं ने राहुल गांधी की और उनके वोट चोरी के आरोपों की कड़ी आलोचना की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 19, सितंबर। कथित वोट चोरी के आरोपों को लेकर चुनाव आयोग पर हो रहे हमले के बीच, सत्तारूढ़ भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए ने आज विपक्ष के नेता राहुल गांधी को देश में अशांति फैलाने की कथित कोशिशों को लेकर निशाने पर लिया।

एनडीए के कई नेताओं ने कांग्रेस नेता के हालिया बयानों की आलोचना की है, जिनमें उन्होंने जेनरेशन जैड को लोकतंत्र का रक्षक बताया था। उन्होंने राहुल गांधी पर देश में अशांति फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

जब भाजपा पर खतरा आता है, तो उसका मुख्य हथियार आक्रामक होना होता है और भाजपा के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष के नेता पर देश के युवाओं को उकसाने का आरोप लगाते हुए यह बात पूरी स्पष्टता के साथ प्रदर्शित की। उन्होंने कहा, ‘‘राहुल गांधी देश के युवाओं, छात्रों और जेन जैड को

■ भाजपा नेता सैय्यद शाहनवाज़ हुसैन ने कहा कि विपक्ष के नेता देश के युवा वर्ग व जनरेशन ज़ैड को देश के खिलाफ भड़का रहे हैं।

■ भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने राहुल पर देश के लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। जद (यू) नेता राजीव रंजन प्रसाद ने भी राहुल के खिलाफ मोर्चा खोला।

■ भाजपा सुत्रों ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के निर्देश पर भाजपा व एनडीए के नेता राहुल पर आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वोट चोरी विरोधी मुहिम बिहार में ही नहीं देश भर में जोर पकड़ रही है।

भड़का रहे हैं। वे उन्हें राष्ट्र के खिलाफ उकसा रहे हैं। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। देश के युवा प्रधानमंत्री मोदी को पर्सद करते हैं। उन्हें पता है कि यह सरकार उनके लिए और गरीबों के लिए काम कर रही है।’’

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी राहुल गांधी पर निशाना

साधा और पूर्ववर्ती और वर्तमान शासन के बीच तीव्र अंतर को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, ‘‘जिन लोगों ने देश को लूटा, उन्हें अपने बचाव पर ध्यान देना चाहिए। जब उनके पिता, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने कहा था कि सरकार द्वारा दिये गये हर एक रुपये में से 85 पैसे भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, तो लोग स्तब्ध

रह गए थे। आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में अगर एक लाख करोड़ रुपये सरकार की योजनाओं के तहत भेजे जाते हैं, तो पूरा पैसा सीधे लोगों तक पहुँचता है।’’

इसी तरह, जनता दल (यू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कांग्रेस सांसद की टिप्पणी की आलोचना की और भारतीय युवाओं में किसी भी प्रकार की सत्ता-विरोधी लहर से इनकार किया। उन्होंने कहा, ‘‘भारत के युवा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘‘विजन 2०47’’ से जुड़ रहे हैं। यहां कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। भारत में लोग नौकरियों, तकनीक और विकास पर केन्द्रित हैं, न कि सत्ता परिवर्तन पर।’’गुरुवार को, राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था, ‘‘देश के युवा, देश के छात्र, जेन जैड संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। मैं हमेशा उनके साथ हूँ। जय हिंद।’’

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

साउदी अरब व पाकिस्तान का सुरक्षा अनुबंध क्या केवल आपसी सुरक्षा का वादा है?

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 19, सितंबर। ‘‘स्वराज्य’’ पत्रिका में प्रकाशित एक विश्लेषण में कहा गया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच हुए रणनीतिक समझौते का भारत पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। विश्लेषण में कहा गया है कि इस समझौते के अनुसार, किसी एक देश पर हमला, दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। सऊदी और पाकिस्तानी आधिकारिक मीडिया ने कहा है कि यह समझौता किसी भी आक्रामकता के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करता है और दशकों से चली आ रही रक्षा साझेदारी को संस्थागत रूप देता है। ऐतिहासिक रूप से, सऊदी-पाक सुरक्षा सहयोग काफी गहरा रहा है। सन् 1947 में पाकिस्तान को मान्यता देने

वाले शुरुआती देशों में सऊदी अरब भी था और 1951 की ‘‘ट्रूटी ऑफ फ्रेंडशिप’’ ने उनके करीबी रिश्तों की नींव रखी। 196० के दशक से, पाकिस्तान ने सऊदी अरब में सैनिक और प्रशिक्षक भेजे हैं और हजारों सऊदी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया है। रियाद इस रिश्ते के तहत अक्सर इस्लामाबाद को कर्ज और तेल-क्रेडिट के रूप में आर्थिक मदद भी देता रहा है। नया समझौता ऐसे समय आया है, जब क्षेत्र में अस्थिरता है। खाड़ी देशों में सीमापार संघर्षों और अमेरिका की कम होती दखलंदाजी के कारण सुरक्षा चिंता बढ़ी है। हाल के वर्षों में गाज़ा में

इज़राइल का युद्ध और पड़ोसी देशों पर उसके हमले, जिनमें 9 सितम्बर 2025 को दोहा पर हवाई हमला शामिल है, अरब देशों को राजधानियों को बेचैन कर चुके हैं। खाड़ी नेताओं को अब केवल अमेरिकी सुरक्षा पर भरोसा करने में हिचक होने लगी है, क्योंकि वॉशिंगटन इज़रायल का खुला समर्थन करता है। इसी बीच, इस साल की शुरुआत में भारत ने एक संक्षिप्त संघर्ष के अनर्गत पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जिससे पाकिस्तान फिर से गहरी आर्थिक मुसीबत में पड़ूँ सकता था, जबकि उसने हाल ही में उससे थोड़ा

■ शीत युद्ध के प्रारंभिक दिनों में पाकिस्तान ने अमेरिका से ऐसे कई समझौते (पैक्ट्स) किये थे तथा अमेरिका ने कोई गारंटी नहीं दी थी कि पाकिस्तान पर कोई हमला होने पर, अमेरिका उसके पक्ष में युद्ध भूमि में कूद पड़ेगा।

■ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि यह साउदी अरब व पाकिस्तान के बीच हुए समझौते का लक्ष्य भारत नहीं है, बल्कि इस उत्पत्ति का मुख्य कारण है, अमेरिका का आँख बंद करके इज़रायल का साथ देना, चाहे गाज़ा स्ट्रिप पर इज़रायल का हमला हो या 9 सितंबर 2025 को इज़रायल द्वारा बमबारी। अतः अब खाड़ी देश केवल अमेरिका पर अपनी सुरक्षा के लिए निर्भर नहीं रहना चाहते।

बाहर निकलना शुरू किया था। पर्यवेक्षकों का कहना है कि सऊदी-पाकिस्तानी समझौता इन्हीं दबावों को प्रदर्शित करता है। भारतीय अधिकारियों

ने, इस पर संयमित प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने दोहराया है कि सरकार को पहले से पता था कि ऐसा समझौता हो सकता है और अब उसके

राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर का अध्ययन किया जाएगा। भारतीय मीडिया ने बताया कि बातचीत के दौरान सऊदी अधिकारियों ने भारत को भरोसे ले रखा

था, यानी दिल्ली पूरी तरह अंधेरे में नहीं थी। राजनीतिक विश्लेषक इस समय को अमेरिका की पीछे हटने वाली भूमिका और मध्य पूर्व की उथल-पुथल से जोड़कर देखते हैं, न कि भारत के लिए किसी सीधी धमकी के रूप में। कुल मिलाकर, भारत अचानक चौंका नहीं और अधिकारियों ने सतर्क चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि वे देखेंगे कि यह समझौता उपमहाद्वीप और क्षेत्र की स्थिरता पर कैसा असर डालता है।

क्या इसमें कोई सुरक्षा गारंटी शामिल है? हाँ और नहीं। इस समझौते की मुख्य धारा कहती है कि एक पर हमला, दोनों पर हमला माना जाएगा।

यह मूल रूप से परस्पर रक्षा की प्रतिबद्धता है। इस नज़रिए से यह एक तरह की सुरक्षा गारंटी तो देता है, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के खिलाफ किसी हमले को रोकने या जवाब देने का वादा करते हैं। लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह मुख्यतः राजनीतिक और प्रतीकात्मक है। जारी किये गये बयानों में साझा रोकथाम और परामर्श पर जोर है, लेकिन इनमें यह स्पष्ट नहीं है कि किसी हमले की स्थिति में सऊदी या पाकिस्तान बिना शर्त फ़ौज भर्जेंगे ही। पर्यवेक्षक इसकी तुलना ‘‘नाटो के आर्टिकल 5’’ से करते हैं, क्योंकि इसमें साझेदार को परस्पर समर्थन का वचन तो दिया गया है लेकिन वास्तविक सैन्य कार्रवाई का फ़ैसला हालात देखकर किया जाएगा। पाकिस्तान के पहले के शीतयुद्ध कालीन अमेरिका के साथ रक्षा समझौते भी स्वतः (ऑटोमैटिक) हस्तक्षेप की गारंटी नहीं देते थे।